

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कंडिका-1.1)
राज्य की रूपरेखा
अ-सामान्य आंकड़े

क्र. स.	विवरण	आंकड़े (छत्तीसगढ़)	
1	क्षेत्र	1,35,192 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)	2.55 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 2011-12 (राष्ट्रीय औसत =21.92 प्रतिशत)	39.93 प्रतिशत	
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत=73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर (जैसा की वर्ष 2019 में) (प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत=30 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	38 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2014-18 संपूर्ण भारत का औसत=69.40)	65.20	
8	जनसंख्या वृद्धि (2012-2022)	संपूर्ण भारत	12.12
		छत्तीसगढ़	14.97
9	2021-22 के वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जी.एस.डी.पी)	₹4,00,061 करोड़	

ब-वित्तीय आंकड़े

विवरण		वर्ष 2012-13 से 2020-21		वर्ष 2020-21 से 2021-22	
		सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़	सामान्य श्रेणी राज्य	छत्तीसगढ़
सी.ए.जी.आर		(प्रतिशत में)			
क	राजस्व प्राप्तियों का	9.17	9.95	25.60	26.08
ख	कर राजस्व का	7.75	9.94	33.19	28.75
ग	करेत्तर राजस्व का	4.80	5.60	45.35	94.08
घ	कुल व्यय का	11.07	11.22	13.96	8.51
ङ	पूँजीगत व्यय का	9.65	7.88	28.19	16.40
च	शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का	9.19	12.61	11.41	10.06
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	14.67	21.08	19.71	20.33
ज	मजदूरी एवं वेतन का	9.26	13.93	11.23	9.28
झ	पेंशन का	12.38	14.52	11.88	4.71

(नोट: वित्तीय आंकड़े राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित हैं)

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: कांडिका 2.4.1)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
भाग क-प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	59,647(86)	65,095(82)	63,869(76)	63,176(74)	79,652(84)
(i) स्वयं के कर राजस्व	19,895(33)	21,427(33)	22,118(35)	22,118(36)	27,083(34)
कृषि आय पर कर	0	0	0	0	0
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	6,450(32)	4,088(19)	3,931(18)	4,236(19)	5,341(20)
राज्य उत्पाद शुल्क	4,054(20)	4,489(21)	4,952(22)	4,636(20)	5,107(19)
वाहन कर	1,180(6)	1,205(06)	1,275(06)	1,148(05)	1,373(05)
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	1,197(6)	1,108(05)	1,635(07)	1,585(07)	1,945(07)
भू-राजस्व	446(2)	488(02)	552(02)	938(02)	950(04)
माल एवं यात्री कर	478(2)	54(0)	41(0)	80(0)	48(0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,387(22)	8,203(38)	7,895(36)	7,925(35)	9,483(35)
अन्य कर	1,703(09)	1,792(08)	1,838(09)	2,341(10)	2,836(10)
(ii) करेतर राजस्व	6,340(11)	7,703(12)	7,934(12)	7,137(11)	13,851(17)
(iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश	20,755(35)	23,459(36)	20,206(32)	20,338(32)	28,871(36)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	12,657(21)	12,506(19)	13,611(21)	12,812(20)	10,146(13)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	03	05	04	05	05
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	138	162	257	105	88
3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	01	02	00	00	00
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	59,789	65,264	64,130	63,286	79,745
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	9,652(14)	14,370(18)	19,588(53)	21,582(25)	15,098(16)
आंतरिक ऋण ¹ (अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	9,188	13,817	19,308	17,961	9,322
अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के तहत शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम	465	553	279	3,620	5,776
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	69,441	79,634	83,718	84,868	94,843
7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ	00	00	05	00	00
8. लोक लेखे प्राप्तियाँ	72,058	76,903	89,910	81,446	87,016
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	1,41,499	1,56,537	1,73,628	1,66,314	1,81,859
भाग ख: व्यय/भुगतान					
10. राजस्व व्यय	56,230(84)	64,411(88)	73,477(89)	70,033(89)	75,010(88)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	12,870(23)	15,280(24)	19,095(26)	19,586(28)	21,375(28)
समाजिक सेवायें	24,372(43)	23,455(37)	26,653(36)	25,066(35)	27,964(37)
आर्थिक सेवायें	17,623(31)	24,781(39)	26,609(36)	24,255(35)	24,558(33)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,365(02)	895(01)	1,120(2)	1,125(02)	1,113(01)

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
11. पूँजीगत व्यय	10,001(15)	8,903(12)	8,566(02)	9,024(11)	10,504(12)
सामान्य सेवायें	303(3)	255(03)	194(02)	509(06)	352(03)
समाजिक सेवायें	2,652(27)	1,774(20)	1,912(22)	2,935(33)	3,234(31)
आर्थिक सेवायें	7,046(70)	6,874(77)	6,460(76)	5,581(62)	6,919(66)
12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण	369	240	56	51	324
12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन	1.00	0.25	0.05	0.01	(-)0.25
13. योग (10+11+12+12(अ))	66,600	73,555	82,100	79,108	85,838
14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	1,000	1,146	8,696	8,020	8,845
आंतरिक ऋण	828(83)	953(83)	8,480(98)	7,805(97)	8,626(98)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	172(17)	193(17)	216(02)	215(03)	220(02)
15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	67,600	74,700	99,419	87,128	94,683
17. आकस्मिकता निधि से भुगतान	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
18. लोक लेखे से भुगतान	71,754	76,357	83,719	81,120	86,716
19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18)	1,39,354	1,51,057	1,83,138	1,68,248	1,81,399
भाग ग: घाटे					
20. राजस्व कमी (-)/आधिक्य (+) (1-10)	3,417	684	(-)9,609	(-)6,857	4,642
21. वित्तीय कमी (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-)6,810	(-)8,292	(-)17,970	(-)15,822	(-)6,093
22. प्राथमिक कमी (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-)3,712	(-)4,640	(-)12,999	(-)10,189	51
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान	3,098	3,652	4,971	5,633	6,144
24. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,82,283	3,27,693	3,44,571	3,52,161	4,00,061
27. वर्षान्त पर देयतायें	52,907	66,750	78,712	92,714²	99,173³
28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटियां)	3,882	10,769	18,459	19,836	19,524
29. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि	6,550	19,574	27,995	26,695	29,948
30. अधूरे परियोजना की संख्या	110	107	145	149	150
31. अधूरे परियोजना में अवरूद्ध पूँजी	4,067	4,365	3,355	4,444	4,667

² बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹89,605 करोड़ होगी

³ बैंक टू बैंक ऋण (₹8,074 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹91,099 करोड़ होगी

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कांडिका-3.3.1)

वर्ष 2021-22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0761-कन्या शिक्षा परिसर	20.44	0.00	20.44	18.89
2	1206- ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी	1.50	0.00	1.50	1.43
3	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	34.92	0.00	34.92	28.45
4	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.96
5	4663-स्पिनिंग मिल हेतु अनुदान	0.07	0.00	0.07	0.03
6	4691-कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	6.00	0.00	6.00	4.96
7	5534-स्वास्थ्य मितानिन योजना	1.40	0.00	1.40	0.77
8	5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय	64.60	0.00	64.60	87.46
9	5560-राज्य स्तरीय संसाधन केंद्र	2.39	0.00	2.39	1.48
10	5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान	1.90	0.00	1.90	1.01
11	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.32
12	6388-नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	25.29	0.00	25.29	13.79
13	7330-मितानिन कल्याण निधि	110.00	0.00	110.00	110.00
14	7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	70.15	0.00	70.15	72.30
15	7361-सबला योजना	7.16	0.00	7.16	2.86
16	7435-पोषण	38.50	0.00	38.50	33.95
17	7747-महतारी जतन योजना	33.26	0.00	33.26	25.56
18	7875-सुचिता योजना	6.50	0.00	6.50	5.25
19	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना	50.91	0.00	50.91	34.59
20	8977-असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	2.04
21	8989-ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	6.09
22	9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	7.00	0.00	7.00	0.00
23	9369-महिला जागृति शिविर	4.85	0.00	4.85	5.39
योग		530.85	0.00	530.85	471.58

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2)

वर्ष 2021-22 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	0436-विशेष कोचिंग क्लासेज	0.12	0.00	0.12	0.04
2	1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण	1.25	0.00	1.25	0.97
3	1190-ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता	1.50	0.00	1.50	0.28
4	1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय	1.25	0.00	1.25	0.57
5	2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण	34.92	0.00	34.92	28.45
6	3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता	2.00	0.00	2.00	0.96
7	4699-अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति	1.10	0.00	1.10	0.81
8	5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	3.00	0.00	3.00	1.24
9	5260-नस्ल सुधार के लिए बैल का वितरण	0.75	0.00	0.75	0.75
10	5428-राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार	0.70	0.00	0.70	0.70
11	5429-युवा कल्याण गतिविधि	2.00	0.00	2.00	1.16
12	5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	19.00	0.00	19.00	14.32
13	5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना	0.50	0.00	0.50	0.49
14	5672-बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना	6.15	0.00	6.15	6.13
15	6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान	0.14	0.00	0.14	0.14
16	6386-मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	821.56	37.00	858.56	393.23
17	6388- नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र	25.29	0.00	25.29	13.79
18	6407- राज्य युवा महोत्सव	5.00	0.00	5.00	1.00
19	6408-राज्य युवा मितान क्लब	50.00	0.00	50.00	33.12
20	6409-मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
21	6425-मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना	5.00	0.00	5.00	0.00
22	6435-विशेष उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री सहायता	0.01	0.00	0.01	0.00
23	6436-मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना	1.00	0.00	1.00	0.00
24	6913-कुभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना	1.00	0.00	1.00	0.60
25	7296-खेल अकादमी	4.09	0.00	4.09	1.71
26	7361-सबाला योजना	7.16	0.00	7.16	2.86
27	7363-युवा कैरियर विकास योजना	12.03	3.00	15.03	5.33
28	7366-सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना	0.28	0.00	0.28	0.02
29	7430-शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा	0.55	0.00	0.55	0.22
30	7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल	38.50	0.00	38.50	33.95
31	7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं	8.80	0.00	8.80	3.52
32	7632-युवा क्षमता विकास योजना	4.60	0.00	4.60	0.18
33	7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना	84.35	0.00	84.35	11.20
34	7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना	7.19	0.00	7.19	4.35
35	7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	22.14	0.00	22.14	0.00
36	7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	50.91	0.00	50.91	34.59
37	7914-कौशल स्वरोजगार योजना	0.75	0.00	0.75	0.00
38	8076-राज्य के बाहर औद्योगिक और तकनीकी संस्थान	0.07	0.00	0.07	0.02
39	8638-राज्य प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना	7.00	0.00	7.00	0.95
40	8643-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना	4.00	0.00	4.00	4.00
41	8899-पशु धन मित्र योजना	3.30	0.00	3.30	2.93

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

42	8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना	7.00	0.00	7.00	7.00
43	8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना	3.01	0.00	3.01	2.23
44	8935-लाइवलीहुड कॉलेज परियोजना	16.07	0.00	16.07	8.18
45	8977-छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल	8.00	0.00	8.00	2.04
46	8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति)	125.01	4.80	129.81	83.43
47	8989-छत्तीसगढ़ टेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	15.00	0.00	15.00	6.09
48	9369-महिला जागृति शिविर	4.85	0.00	4.85	5.39
49	9381-बुक बैंक	0.10	0.00	0.10	0.03
50	9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय	0.85	0.00	0.85	0.76
योग		1,419.84	44.80	1,464.64	719.73

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.5)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट	व्यय
1	6472- भूजल संरक्षण कार्य	1.00	0.00	1.00	0.00
2	6479- आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.(आर.आर.पी.) चरण-3	12.00	0.00	12.00	0.00
3	6482- मंत्रालयों और विभागाध्यक्ष भवनों में वाई-फाई सुविधा की स्थापना	2.50	0.00	2.50	0.00
4	6484- मुख्यमंत्री गार्सा विकास योजना	10.00	0.00	10.00	0.00
5	6493- राष्ट्रीय ई-वाहन एप्लीकेशन (एन.ई.वी.ए.)	5.00	0.00	5.00	0.00
6	6597- उद्वहन सिंचाई परियोजना (मेगा परियोजना)	1.60	0.00	1.60	0.00
7	6601- भूमि अधिग्रहण के लिए जमा राशि और प्रशासनिक सेवा शुल्क पर अर्जित ब्याज का व्यय	0.00	5.00	5.00	0.00
योग		32.10	5.00	37.10	0.00

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.5.2)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों से बचत
राजस्व (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन	265.68	23.70	231.96	-33.72
02	सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	346.18	5.87	159.28	-186.90
03	पुलिस	5,073.18	15.83	4,471.03	-602.15
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	88.95	3.69	60.77	-28.18
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय	277.23	7.50	216.84	-60.39
08	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	918.94	201.00	806.38	-112.56
10	वन	1,768.92	211.35	1,716.80	-52.11
11	वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय	223.67	5.86	190.98	-32.69
23	जल संसाधन विभाग	620.31	3.11	474.32	-145.99
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	48.85	2.30	40.64	-8.21
27	स्कूल शिक्षा	5,140.25	57.29	4,586.48	-553.77
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	478.05	9.71	364.16	-113.89
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,049.75	160.79	2,024.41	-1,025.34
34	सामाजिक कल्याण	107.54	21.00	97.86	-9.68
36	परिवहन	83.77	3.20	50.35	-33.42
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,333.05	41.50	2,024.51	-308.53
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16,242.98	601.19	13,884.41	-2,358.57
51	धार्मिक ट्रस्ट और बंदोबस्ती	15.24	0.74	7.22	-8.02
55	महिला एवं कल्याण विभाग	1,016.19	6.65	748.67	-267.53
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,136.72	379.01	4,489.82	-646.90
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	895.12	258.62	774.38	-120.74
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	903.03	7.00	672.67	-230.35
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,596.64	75.00	2,524.62	-72.01
योग-राजस्व दत्तमत		47,630.23	2,101.91	40,618.57	-7,011.67
पूँजीगत (दत्तमत)					
01	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	52.64	3.07	48.96	-3.68
03	पुलिस	130.84	2.90	98.96	-31.88
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	231.89	4.00	4.86	-227.03
17	सहयोग	0.50	3.92	0.50	0.00
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	67.66	1.60	59.79	-7.87
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,233.04	395.19	2,516.54	-716.50
45	लघु सिंचाई कार्य	374.51	1.01	320.75	-53.76
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	135.64	83.53	61.76	-73.88
योग-पूँजीगत दत्तमत		4,226.72	495.21	3,112.12	-1,114.60
कुल योग		51,856.95	2,597.12	43,730.69	-8,126.27

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका-3.5.4)

उप-शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
1	30- 2216- 3- 105- 701- 7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	620.00	0.00	620.00
2	CH1- 6003- 110- 637- अर्थोपाय अग्रिम	581.88	0.00	581.88
3	41- 2216- 3- 796- 105- 702- 7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	456.00	0.00	456.00
4	CH2- 2049- 1- 101- 2199- नया बाजार ऋण	275.00	0.00	275.00
5	CH1- 6003- 110- 779- कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम	250.00	0.00	250.00
6	42- 5054- 4- 796- 337- 702- 7842- आर.आर.पी. चरण-II	230.00	0.00	230.00
7	30- 2215- 2- 107- 701- 7610- स्वच्छ भारत अभियान	200.00	0.00	200.00
8	41- 2215- 2- 796- 107- 702- 7610- स्वच्छ भारत अभियान	152.00	0.00	152.00
9	64- 2216- 3- 789- 105- 703- 7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	144.00	0.00	144.00
10	80- 2853- 2- 800- 101- 6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों में अंतरण	139.37	0.00	139.37
11	79- 4210- 3- 105- 701- 6386- मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज	100.00	0.00	100.00
12	02- 4070- 800- 101- 6452- मुख्यमंत्री अधोसंरचना रखरखाव एवं उन्नयन प्राधिकरण	80.00	0.00	80.00
13	8- 2029- 797- 6754- अवसंरचना विकास निधि यों में अंतरण	75.40	0.00	75.40
14	58- 2245- 2- 122- 6457- राज्य आपदा नवीकरण निधि से व्यय	70.00	0.00	70.00
15	3- 2055- 115- 600- 7918- नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	66.66	0.00	66.66
16	44- 2202- 3- 1- 701- 8971- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	65.96	0.00	65.96
17	8- 2029- 797- 6753- पर्यावरण निधि का हस्तांतरण	57.82	0.00	57.82
18	64- 4225- 1- 789- 102- 603- 7626- विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	51.77	4.00	55.77
19	41- 4202- 1- 796- 202- 1002- 1400- विवेकानंद गुरुकुल उनायन योजना	55.00	0.00	55.00
20	15- 2853- 2- 789- 800- 103- 6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों में अंतरण	52.85	0.00	52.85
21	82- 2853- 2- 796- 800- 102- 6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों में अंतरण	51.95	0.00	51.95
22	12- 4801- 5- 52- 101- 6378- स्काडा योजना	50.00	0.00	50.00
23	58- 2245- 80- 103- 4849- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत कोष में स्थानांतरण	50.00	0.00	50.00
24	75- 4700- 9- 800- 311- 5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	50.00	0.00	50.00
25	81- 2217- 5- 191- 7675- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिला अनुदान	48.82	0.00	48.82
26	64- 2215- 2- 789- 107- 703- 7610- स्वच्छ भारत अभियान	48.00	0.00	48.00
27	8- 2029- 102- 101- 7787- ई-धरती	45.00	0.00	45.00
28	8- 5054- 5- 337- 510- 6477- पर्यावरण उपकर निधि	40.00	0.00	40.00

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	योजना का नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल बजट
29	58- 2245- 80- 800- 6457- राज्य आपदा नवीकरण निधि से व्यय	36.00	0.00	36.00
30	8- 4059- 80- 51- 510- 6476- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस फंड	35.00	0.00	35.00
31	8- 4059- 80- 51- 510- 6477- पर्यावरण उपकरण निधि	35.00	0.00	35.00
32	24- 3054- 80- 800- 6464- निर्माण कार्य के लिए सी.जी.आर.आई.डी.सी. एल. द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज का भुगतान	30.00	0.00	30.00
33	30- 5054- 4- 337- 101- 4855- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
34	41- 2406- 1- 796- 105- 802- 5231- लघु वनोपज कार्य के लिए लघु वनोपज संघ को अनुदान	30.00	0.00	30.00
35	41- 5054- 4- 796- 337- 102- 4855- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	30.00	0.00	30.00
36	58- 2245- 1- 101- 7710- फसल के विनाश के लिए सहायता	30.00	0.00	30.00
37	64- 2225- 1- 789- 102- 603- 7626- विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	27.00	0.00	27.00
38	64- 2217- 80- 789- 191- 703- 7706- अमृत मिशन	26.40	0.00	26.40
39	41- 2202- 2- 796- 109- 1002- 5480- जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(i)	25.26	0.00	25.26
40	11- 4851- 101- 101- 5385- नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना	25.05	0.00	25.05
41	19- 2210- 6- 200- 101- 6363- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	25.00	0.00	25.00
42	24- 3054- 1- 337- 134- रखरखाव और मरम्मत - साधारण मरम्मत	23.00	0.00	23.00
43	71- 3275- 800- 101- 6818- स्वान परियोजना	23.00	0.00	23.00
44	27- 2202- 2- 109- 101- 8659- गैर-सरकारी स्कूलों में ट्यूशन फीस का पुनर्भरण	21.99	0.00	21.99
45	30- 5054- 4- 101- 101- 4871- पीएमजीएसवाई सड़कों पर पुलों का निर्माण	20.00	0.00	20.00
46	41- 4425- 796- 108- 102- 7678- सहकारी समितियों के लिए शेयर पूंजी	20.00	0.00	20.00
47	41- 5054- 4- 796- 101- 102- 4871- पीएमजीएसवाई सड़कों पर पुलों का निर्माण।	20.00	0.00	20.00
48	42- 5054- 4- 796- 101- 702- 7842- आरआरपी चरण-II	20.00	0.00	20.00
49	64- 2225- 1- 789- 102- 603- 7626- विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा स्थानीय विकास कार्यक्रम	20.00	0.00	20.00
50	CH1- 6004- 9- 101- 3052- ब्लॉक ऋण	20.00	0.00	20.00
51	41- 2210- 6- 796- 200- 102- 6363- मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना	19.00	0.00	19.00
52	41- 2406- 1- 796- 105- 702- 6373- लघु वनोपज प्रसंस्करण के लिए अनुदान	18.34	0.00	18.34
53	81- 2217- 5- 192- 7675- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिला अनुदान	16.81	0.00	16.81
54	41- 2202- 2- 796- 109- 1002- 5480- जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार अनुच्छेद 275(i)	16.63	0.00	16.63
55	69- 2217- 80- 192- 701- 7709- सबके लिए आवास योजना	16.60	0.00	16.60
56	4- 4070- 800- 7718- आपातकालीन सेवाएं	16.33	0.00	16.33
57	41- 4202- 1- 796- 202- 1202- 1400- विवेकानंद गुरुकुल उनायन योजना	16.00	0.00	16.00
58	58- 2245- 80- 800- 7408- राज्य आपदा प्रबंधन के तहत दक्षता विकास	16.00	0.00	16.00
59	21- 6217- 1- 800- 101- 7883- जल आपूर्ति योजना	15.00	0.00	15.00

60	45- 4702- 101- 101- 3803- लघु और सूक्ष्म लघु सिंचाई योजनाएं	15.00	0.00	15.00
61	71- 5275- 101- 701- 7892- भारत नेट परियोजना के लिए कार्यान्वयन	15.00	0.00	15.00
62	81- 2217- 5- 193- 7675- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत मिला अनुदान	14.41	0.00	14.41
63	55- 4235- 2- 102- 701- 337- आगनवाड़ी का निर्माण और मरम्मत	13.34	0.00	13.34
64	64- 4202- 1- 789- 202- 1203- 1400- विवेकानंद गुरुकुल उनायन योजना	12.38	0.00	12.38
65	41- 4235- 2- 796- 102- 702- 337- आगनवाड़ी का निर्माण और मरम्मत	12.04	0.00	12.04
66	42- 5054- 4- 796- 101- 702- 6479- आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.(आर.आर.पी.) चरण - 3	10.40	0.00	10.40
67	23- 4701- 80- 800- 701- 6354- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण ष	10.00	0.01	10.01
68	41- 2230- 3- 796- 3- 702- 7867- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
69	41- 2235- 2- 796- 102- 702- 5354- एकीकृत सेवा योजना (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना के तहत)	10.00	0.00	10.00
70	41- 4210- 1- 796- 196- 102- 1473- जिला अस्पताल	10.00	0.00	10.00
71	41- 4701- 29- 796- 800- 102- 3366- मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य	10.00	0.00	10.00
72	41- 4702- 796- 800- 702- 6354- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण ष	10.00	0.00	10.00
73	47- 2230- 3- 3- 701- 7867- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	10.00	0.00	10.00
74	58- 2245- 2- 106- 1467- जिला और अन्य सड़कें	10.00	0.00	10.00
75	58- 2245- 2- 122- 989- क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों की पुनः स्थापना और मरम्मत	10.00	0.00	10.00
76	64- 2202- 3- 789- 1- 703- 8971- राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	10.00	0.00	10.00
योग		5,023.44	4.01	5,027.45

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कंडिका-3.5.5)

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
02	सामान्य प्रशासन	346.18	5.87	352.05	159.28	-192.77	-177.07	-15.69
03	पुलिस	5,073.18	15.83	5,089.01	4,471.03	-617.98	-604.18	-13.81
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	918.94	201.00	1,119.94	806.38	-313.56	-302.95	-10.60
10	वन	1,768.92	211.35	1,980.27	1,716.80	-263.46	-262.86	-0.60
13	कृषि	4,592.85	0.00	4,592.85	4,015.67	-577.19	-577.35	0.16
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,313.77	954.70	3,268.47	3,005.46	-263.01	-346.26	83.25
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	330.15	0.00	330.15	223.59	-106.56	-108.35	1.78
23	जल संसाधन विभाग	620.31	3.11	623.42	474.32	-149.10	-149.88	0.78
24	लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल	1,090.63	0.00	1,090.63	636.62	-454.01	-454.05	0.03
27	स्कूल शिक्षा	5,140.25	57.29	5,197.54	4,586.48	-611.06	-620.39	9.33
29	न्याय और चुनाव का प्रशासन	478.05	9.71	487.76	364.16	-123.60	-124.83	1.23
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3,049.75	160.79	3,210.54	2,024.41	-1,186.13	-1,187.21	1.08
33	जनजातीय कल्याण	4,879.42	0.00	4,879.42	4,559.66	-319.76	-330.70	10.94
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग	2,333.05	41.50	2,374.55	2,024.51	-350.03	-349.99	-0.04
41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	16,242.98	601.19	16,844.17	13,884.41	-2,959.77	-3,091.67	131.91
44	उच्च शिक्षा	801.52	0.00	801.52	631.93	-169.59	-179.13	9.55
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	350.01	0.00	350.01	230.60	-119.42	-117.26	-2.16
55	महिला एवं बाल कल्याण	1,016.19	6.65	1,022.85	748.67	-274.18	-274.22	0.04
58	प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय	1,110.58	0.00	1,110.58	880.27	-230.31	-244.83	14.52
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,136.72	379.01	5,515.73	4,489.82	-1,025.90	-1,031.77	5.87
67	लोक निर्माण-भवन	708.72	0.00	708.72	594.51	-114.21	-64.68	-49.53
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	895.12	258.62	1,153.74	774.38	-379.36	-379.36	0.00
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	903.03	7.00	910.03	672.67	-237.35	-182.59	-54.76
80	त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,596.64	75.00	2,671.64	2,524.62	-147.01	-168.95	21.93
योग		62,696.96	2,988.61	65,685.57	54,500.26	-11,185.31	-11,330.53	145.21
राजस्व (भारित)								
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	-502.69	-502.69	0.00
योग		6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	-502.69	-502.69	0.00

पूँजीगत (दत्तमत)								
08	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	231.89	4.00	235.89	4.86	-231.03	-231.71	0.68
11	वाणिज्य और उद्योग से संबंधित व्यय	115.40	0.00	115.40	8.13	-107.27	-106.81	-0.46
20	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	471.48	275.29	746.77	529.73	-217.04	-217.04	0.00
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	243.45	0.00	243.45	102.59	-140.86	-140.86	0.00
23	जल संसाधन	519.16	0.12	519.28	232.25	-287.03	-287.86	0.83
24	लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल	1,537.81	0.00	1,537.81	1,398.67	-139.14	-154.35	15.22
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	929.90	0.00	929.90	783.78	-146.12	-142.33	-3.78
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,233.04	395.19	3,628.23	2,516.54	-1,111.69	-1,131.12	19.44
42	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	960.71	0.00	960.71	545.71	-415.00	-420.27	5.27
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	997.13	272.17	1,269.30	1,071.93	-197.36	-203.03	5.67
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	785.44	0.01	785.45	307.90	-477.54	-486.27	8.73
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	699.06	0.00	699.06	158.67	-540.39	-542.49	2.10
76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशो से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	940.15	0.00	940.15	806.81	-133.34	-132.04	-1.30
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	135.64	83.53	219.17	61.76	-157.41	-157.32	-0.09
योग		11,800.25	1,030.31	12,830.56	8,529.35	-4,301.22	-4,353.52	52.31
कुल योग		80,937.49	4,296.47	85,233.96	69,244.74	-15,989.22	-16,186.74	197.52

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कड़िका- 3.5.5)

वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिव्यय(+)	समर्पण	समर्पण रहित बचत
राजस्व (दत्तमत)								
03	पुलिस	5,073.18	15.83	5,089.01	4,471.03	-617.98	-604.18	-13.81
13	कृषि	4,592.85	0.00	4,592.85	4,015.67	-577.19	-577.35	0.16
27	स्कूल शिक्षा	5,140.25	57.29	5,197.54	4,586.48	-611.06	-620.39	9.33
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	3,049.75	160.79	3,210.54	2,024.41	-1,186.13	-1,187.21	1.08
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	16,242.98	601.19	16,844.17	13,884.41	-2,959.77	-3,091.67	131.91
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	5,136.72	379.01	5,515.73	4,489.82	-1,025.90	-1,031.77	5.87
योग		39,235.73	1,214.11	40,449.84	33,471.81	-6,978.02	-7,112.56	134.54
राजस्व (भारित)								
CH2	ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	-502.69	-502.69	0.00
योग		6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	-502.69	-502.69	0.00
पूँजीगत (दत्तमत)								
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	3,233.04	395.19	3,628.23	2,516.54	-1,111.69	-1,131.12	19.44
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	699.06	0.00	699.06	158.67	-540.39	-542.49	2.10
योग		3,932.10	395.19	4,327.29	2,675.21	-1,652.08	-1,673.61	21.54
कुल योग		49,608.10	1,886.85	51,494.95	42,362.16	-9,132.79	-9,288.87	156.08

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कांडिका- 3.5.5)

माह मार्च 2022 के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल बजट	वास्तविक व्यय	बचत(-)/ आधिक्य(+)	समर्पण
1	1-सामान्य प्रशासन	355.13	26.87	382.00	309.17	-72.83	-73.83
2	2-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	426.25	5.87	432.11	159.28	-272.83	-257.07
3	3-पुलिस	5,204.98	19.73	5,224.71	4,571.73	-652.98	-639.18
4	4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	110.50	3.69	114.19	63.45	-50.73	-49.06
5	5-जेल	195.86	0.00	195.86	157.63	-38.23	-37.81
6	6-वित्त	6,725.38	250.30	6,975.68	7,565.59	589.91	-38.29
7	7-वाणिज्य कर विभाग	344.50	7.50	352.00	283.32	-68.68	-42.80
8	8-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	1,151.18	205.00	1,356.18	811.24	-544.94	-535.02
9	9- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	21.24	0.00	21.24	7.91	-13.33	-13.33
10	10-वन	1,789.02	211.35	2,000.37	1,735.19	-265.19	-264.63
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	339.20	5.86	345.07	199.12	-145.95	-152.84
12	12-ऊर्जा	2,819.48	107.42	2,926.90	2,821.57	-105.33	-105.28
13	13-कृषि	4,604.71	0.00	4,604.71	4,018.95	-585.76	-585.91
14	14-पशुपालन	474.02	0.00	474.02	369.24	-104.78	-105.19
15	15- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	166.35	0.00	166.35	72.00	-94.35	-94.35
16	16-मतस्य पालन	82.39	0.29	82.68	68.09	-14.59	-13.06
17	17-सहकारिता	243.87	3.92	247.79	199.24	-48.55	-48.49
18	18-श्रम	215.76	0.00	215.76	167.17	-48.59	-48.57
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,381.85	957.33	3,339.18	3,065.56	-273.62	-357.76
20	20-लोक स्वास्थ्य यात्रिकी	826.74	275.29	1,102.03	771.74	-330.29	-332.08
21	21-भवन एवं पर्यावरण विभाग	546.55	1.00	547.55	404.36	-143.19	-143.15
22	23-जल संसाधन	1,140.04	3.23	1,143.27	706.66	-436.61	-438.22
23	24- लोक निर्माण-सड़कें और पुल	2,648.54	0.00	2,648.54	2,051.96	-596.59	-611.84
24	25-खनिज संसाधन	486.70	0.00	486.70	338.25	-148.45	-148.45
25	26-सांस्कृतिक विभाग	51.60	2.30	53.90	40.67	-13.23	-13.30
26	27-स्कूल शिक्षा	5,177.45	57.29	5,234.74	4,619.58	-615.16	-624.49
27	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	573.05	10.51	583.56	431.64	-151.92	-154.53
28	30-पंचायत और ग्रामीण विकास	3,979.84	160.79	4,140.62	2,808.19	-1,332.44	-1,329.73
29	31-योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग	52.71	0.00	52.71	31.45	-21.26	-21.28
30	32-जनसंपर्क विभाग	234.23	0.00	234.23	222.45	-11.78	-11.70
31	33-आदिवासी कल्याण	4,885.38	0.00	4,885.38	4,560.60	-324.78	-335.72
32	34-सामाजिक कल्याण	110.54	21.00	131.54	97.96	-33.58	-33.99

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

33	36-यातायात	96.24	3.20	99.44	53.36	-46.07	-43.43
35	37-पर्यटन	116.05	0.00	116.05	103.55	-12.50	-12.50
36	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2,357.07	75.00	2,432.07	2,069.13	-362.94	-362.90
37	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	19,534.49	1,021.84	20,556.33	16,474.79	-4,081.55	-4,232.89
38	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	960.71	0.00	960.71	545.71	-415.00	-420.27
39	43-खेल-कूद युवा कल्याण	72.34	0.00	72.34	36.93	-35.41	-35.41
40	44-उच्च शिक्षा	807.75	0.00	807.75	631.99	-175.76	-185.31
41	45-लघु सिंचाई कार्य	453.98	1.01	455.00	390.85	-64.15	-63.53
42	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	26.55	2.23	28.78	11.33	-17.45	-17.45
43	47-तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना	372.62	0.00	372.62	240.72	-131.90	-129.84
44	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	255.00	0.00	255.00	236.89	-18.31	-24.61
46	55-महिला एवं बाल कल्याण	1,049.86	6.65	1,056.51	751.34	-305.17	-305.21
47	56-ग्रामीण उद्योग	117.24	0.00	117.24	91.16	-26.07	-25.87
48	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	1,110.78	0.00	1,110.78	880.27	-230.51	-245.03
49	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	6,157.17	659.22	6,816.39	5,589.87	-1,226.52	-1,238.06
50	65-उड्डयन विभाग	58.48	14.00	72.48	60.30	-12.18	-12.18
51	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	256.37	0.00	256.37	186.36	-70.00	-70.05
52	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	1,495.02	0.01	1,495.03	902.55	-592.48	-551.69
53	68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	95.05	0.00	95.05	56.79	-38.26	-38.46
54	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	895.12	258.62	1,153.74	774.38	-379.36	-379.36
55	71-सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	185.11	50.00	235.11	147.82	-87.29	-87.29
56	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	699.06	0.00	699.06	158.67	-540.39	-542.49
57	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	940.15	0.00	940.15	806.81	-133.34	-132.04
58	79- चिकित्सा शिक्षा	1,038.70	90.53	1,129.23	734.43	-394.79	-339.91
59	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2,729.64	75.00	2,804.64	2,588.29	-216.35	-237.19
60	81-नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता	2,378.78	214.11	2,592.89	2,513.10	-79.79	-79.79
61	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	325.65	0.00	325.65	149.50	-176.15	-177.29
62	CH1 -लोक ऋण	5,376.37	0.00	5,376.37	8,845.29	3,468.93	-747.58
63	CH2 -ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	6,440.27	277.55	6,717.82	6,215.14	-502.69	-502.69
योग		1,04,766.67	5,085.71	1,09,852.39	95,978.32	-13,874.07	-18,901.27

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कंडिका-3.5.6)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

क्र.सं.	अनुदान विवरण	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता	स्पष्टीकरण प्राप्त हुए
1	01-सामान्य प्रशासन	51	17	12
2	02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय	16	9	4
3	03-पुलिस	46	25	18
4	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	29	13	7
5	05-जेल	6	4	1
6	06-वित्त विभाग	52	18	0
7	07-वाणिज्य कर विभाग	32	11	4
8	08-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन	45	27	11
9	09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	6	5	5
10	10-वन	77	34	12
11	11-वाणिज्य एवं उद्योग	47	17	0
12	12-ऊर्जा	43	11	9
13	13-कृषि	88	49	46
14	14-पशुपालन विभाग	46	21	18
15	15-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	17	5	4
16	16-मत्स्य पालन	16	5	5
17	17-सहकारिता	19	6	6
18	18-श्रम	17	13	8
19	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	66	34	23
20	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	78	21	11
21	21-आवास एवं पर्यावरण विभाग	24	15	13
22	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	4	4	3
23	23-जल संसाधन विभाग	120	41	28
24	24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल	49	34	19
25	25-खनिज संसाधन विभाग	16	9	9
26	26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्चे	31	9	5
27	27-स्कूल शिक्षा	78	35	31
28	28-राज्य विधायिका	6	5	1
29	29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	32	21	19
30	30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	46	24	17
31	31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	10	6	1
32	32-जनसंपर्क विभाग	50	6	6
33	33-आदिम जाति कल्याण	18	11	5
34	34-सामाजिक कल्याण	45	11	1

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

35	35-पुर्नवास	3	1	0
36	36-यातायात	17	10	7
37	37-पर्यटन	11	5	5
38	39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	36	14	8
39	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	503	212	139
40	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य	22	13	7
41	43-खेल एवं युवा कल्याण	22	12	12
42	44-उच्च शिक्षा	37	13	11
43	45-लघु सिंचाई कार्य	20	9	6
44	46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	7	6	6
45	47-तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग	41	20	12
46	49-अनुसूचित जाति कल्याण	3	2	0
47	50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	1	1	0
48	51-धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती	10	5	4
49	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों के वित्तीय सहायता	18	2	2
50	54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	13	9	5
51	55-महिला एवं बाल कल्याण	54	39	16
52	56-ग्रामीण उद्योग	40	10	9
53	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	8	8	8
54	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत	63	30	11
55	60-जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च	2	2	0
56	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	374	135	98
57	65-विमानन विभाग	3	3	2
58	66-पिछड़ा वर्ग कल्याण	32	18	6
59	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	210	55	39
60	68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	37	12	12
61	69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	18	9	9
62	71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	24	11	11
63	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	22	18	14
64	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ	9	6	2
65	79-चिकित्सा शिक्षा विभाग	39	28	0
66	80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	53	15	12
67	81-नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	87	16	16
68	82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	26	9	7
69	83-अनुसूचित जनजातियों उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	23	1	1
70	CH1 - लोक ऋण	19	9	5
71	CH2 - ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग	89	21	9
	योग	3322	1365	873

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7)

वर्ष 2000-01 से 2020-21 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

वर्ष	अनुदान/ विनियोग	अनुदान/विनियोग की संख्या	(₹ करोड़ में) आधिक्य की राशि
2000-01	11 अनुदान	2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83	10.21
	2 विनियोग	6 और 24	
2001-02	14 अनुदान	6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83	115.90
	2 विनियोग	16 और 25	
2002-03	8 अनुदान	10,15,24,33,37,45,58 और 82	114.59
	2 विनियोग	20 और 67	
2003-04	4 अनुदान	12,33,40 और 67	591.12
	2 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6	
2004-05	4 अनुदान	15,24,67 और 81	133.36
	5 विनियोग	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42	
2005-06	4 अनुदान	4,15,24 और 39	23.27
	2 विनियोग	6 और 23	
2006-07	4 अनुदान	4,24,67 और 82	5.13
	1 विनियोग	33	
2007-08	3 अनुदान	23,33 और 60	15.99
	3 विनियोग	13,24 और 36	
2008-09	9 अनुदान	6,23,24,40,67,75,76,80 और 82	115.26
	1 विनियोग	23	
2009-10	10 अनुदान	3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80	216.77
	5 विनियोग	3,12,13,43 और 67	
2010-11	22 अनुदान	1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	293.78
	6 विनियोग	लोक ऋण 1,20,23,29 और 36	
2011-12	24 अनुदान	1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83	498.09
	1 विनियोग	29	
2012-13	2 अनुदान	40 और 45	0.96
	2 विनियोग	6 और 55	
2013-14	3 अनुदान	06,12 और 60	178.96
	3 विनियोग	06,14 और 27	
2014-15	4 अनुदान	06,19,33 और 80	833.54
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
2015-16	3 अनुदान	6,12 और 50	98.24
	2 विनियोग	41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2016-17	2 अनुदान	06 और 50	11.46
	3 विनियोग	06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2017-18	3 अनुदान	6,49 और 50	2.24
	3 विनियोग	14,33 और 55	
2018-19	2 अनुदान	6 और 50	1.19
	4 विनियोग	6,14,33 और 67	
2019-20	3 अनुदान	06,33 और 44	6,036.62
	3 विनियोग	55, लोक ऋण और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	
2020-21	2 अनुदान	06 और 83	252.24
	2 विनियोग	06 और लोक ऋण	
योग			13,376.63

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: कंडिका-3.5.7)

वर्ष 2021-22 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य व्यय
1	04	2013	मंत्रिपरिषद	6.77	10.43	3.66
2	06	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	6,850.61	7,470.20	619.59
3	19	2071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ	2.30	4.29	1.99
4	21	6217	शहरी विकास के लिए ऋण	56.25	106.20	49.95
5	32	2075	विविध सामान्य सेवाएं	0.03	0.05	0.02
6	51	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4.50	4.77	0.27
7	64	2211	परिवार कल्याण	20.20	20.84	0.65
8	64	4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.21	0.16
9	67	4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2.87	3.71	0.84
10	80	2235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	634.39	655.42	21.03
11	CH1	6003	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	5,158.35	8,625.64	3,467.29
12	CH1	6004	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	218.02	219.66	1.64
योग				12,954.33	17,121.42	4,167.09

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: कडिका 4.3)

31 मार्च 2022 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	वर्ष	लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	2017-18	01	0.01
		2020-21	01	0.02
2203	तकनीकी शिक्षा	2021-22	02	2.40
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2021-22	01	0.10
2230	श्रम तथा रोजगार	2019-20	04	1.73
		2020-21	04	@0.00
		2021-22	28	0.03
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2017-18	09	0.14
		2018-19	32	0.67
		2019-20	44	0.63
		2020-21	51	0.43
		2021-22	95	0.64
2401	फसल-कृषि कर्म	2021-22	63	107.66
2405	मछली पालन	2021-22	02	0.01
2425	सहकारिता	2021-22	03	72.15
2701	मध्यम सिंचाई	2017-18	01	*0.00
		2021-22	01	#0.00
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग	2018-19	01	\$0.00
		2021-22	02	0.08
2852	उद्योग	2019-20	06	0.05
		2020-21	03	0.03
		2021-22	02	0.06
		योग	356	186.85

*वि. आ. राशि ₹4,190.00, #वि. आ. राशि ₹9,280.00, @वि. आ. राशि ₹21,500.00, \$वि. आ. राशि ₹9,790.00

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कांडिका 4.14)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग के नाम	चोरियों के प्रकरण		गबनों के प्रकरण		सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	उच्च शिक्षा	12	10.42	2	0.62	3	2.51	17	13.55
02	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.00	2	0.81
03	जिला प्रशासन	1	0.67	4	0.79	0	0.00	5	1.46
04	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	3	0.19	0	0.00	3	11.81	6	12.00
05	ग्रामीण विकास	4	1.08	2	0.05	14	16.70	20	17.83
06	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
07	विद्यालय शिक्षा	20	12.81	19	156.26	19	67.09	58	236.16
08	पुलिस	28	6.56	5	19.45	234	28.41	267	54.42
09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4	0.30	1	0.09	7	0.85	12	1.24
10	भू-राजस्व (तहसील विभाग)	2	0.50	8	1.36	2	0.18	12	2.04
11	पशु चिकित्सा सेवा	8	1.80	1	0.10	212	16.40	221	18.30
12	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
13	महिला एवं बाल विकास	1	3.50	0	0.00	2	0.31	3	3.81
14	डेयरी विकास	1	0.20	1	0.02	0	0.00	2	0.22
15	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.37	1	0.37
16	विधि एवं विधायी विभाग	6	0.39	1	7.79	0	0.00	7	8.18
17	श्रम एवं रोजगार	13	4.93	0	0.00	12	52.09	25	57.02
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.07	3	0.15	4	0.22
19	फसल-कृषि कर्म	0	0.00	0	0.00	3	0.48	3	0.48
20	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	3	1.14	4	20.47	8	1.24	15	22.85
21	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ	4	0.76	9	34.84	5	10.29	18	45.89
22	वन	3	5.71	0	0.00	949	949.03	952	954.74
23	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	477	10,269.69	479	10,269.93
24	जल संसाधन विभाग	7	1.25	0	0.00	17	543.10	24	544.35
25	वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
26	समाहर्ता	0	0.00	1	0.07	1	0.30	2	0.37
27	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
28	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	0	0.00	1	189.90	0	0.00	1	189.90
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	0	0.00	0	0.00	2	4.41	2	4.41
योग		124	53.31	61	528.14	1,978	11,976.41	2,163	12,557.86

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कडिका 4.14)

सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण
(31 मार्च 2022 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग के नाम	प्रकरणों की संख्या एवं राशि						योग
		05 वर्षों तक	05 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष से उपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	—	7 (2.23)	4 (8.08)	2 (2.51)	1 (0.12)	3 (0.61)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	—	3 (1.08)	1 (0.16)	1 (0.22)	5 (1.46)
4	लेखा एवं कोषालय प्रबंधन	—	—	—	2 (0.07)	1 (11.77)	3 (0.16)	6 (12.00)
5	ग्रामीण विकास	2 (0.21)	—	2 (0.75)	1 (0.46)	6 (13.67)	9 (2.74)	20 (17.83)
6	पंचायत एवं सामाजिक कल्याण	1 (1.00)	—	1 (0.00)	—	—	—	2 (1.00)
7	विद्यालय शिक्षा	—	9 (181.14)	2 (4.93)	7 (21.83)	1 (3.14)	39 (25.12)	58 (236.16)
8	पुलिस	169 (14.04)	47 (6.67)	27 (4.71)	13 (9.03)	3 (3.64)	8 (16.33)	267 (54.42)
9	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	12 (1.24)	12 (1.24)
10	भू-राजस्व (तहसील)	—	—	2 (0.98)	—	—	10 (1.06)	12 (2.04)
11	पशु चिकित्सा सेवाएँ	90 (6.47)	51 (5.55)	62 (3.30)	13 (2.29)	—	5 (0.69)	221 (18.30)
12	सहकारिता	—	—	—	—	—	1 (96.26)	1 (96.26)
13	महिला एवं बाल विकास	—	—	—	—	—	3 (3.81)	3 (3.81)
14	डेयरी विकास	—	—	—	—	1 (0.20)	1 (0.02)	2 (0.22)
15	ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग	—	1 (0.37)	—	—	—	—	1 (0.37)
16	विधि एवं विधायी विभाग	3 (0.29)	—	2 (0.00)	1 (0.11)	1 (7.78)	—	7 (8.18)
17	श्रम एवं रोजगार	5 (1.55)	2 (0.50)	10 (52.21)	2 (1.04)	1 (0.27)	5 (1.45)	25 (57.02)
18	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	—	2 (0.11)	—	2 (0.11)	4 (0.22)
19	फसल-कृषि कर्म	—	1 (0.00)	1 (0.16)	1 (0.32)	—	—	3 (0.48)
20	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	—	12 (3.10)	15 (22.85)
21	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें	1 (0.38)	1 (0.00)	1 (9.85)	1 (0.05)	6 (33.02)	8 (2.59)	18 (45.89)
22	वन	24 (22.16)	41 (91.44)	28 (34.77)	110 (147.76)	187 (386.56)	562 (272.05)	952 (954.74)

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	लोक कल्याण विभाग	7 (186.92)	216 (6,934.93)	180 (2,846.55)	76 (301.53)	—	—	479 (10,269.93)
24	जल संसाधन विभाग	11 (357.23)	4 (6.00)	9 (181.12)	—	—	—	24 (544.35)
25	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	—	1 (0.05)	—	—	—	1 (0.05)
26	समाहर्ता कार्यालय	—	—	—	—	—	2 (0.37)	2 (0.37)
27	खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग	—	—	—	—	—	1 (0.00)	1 (0.00)
28	स्वच्छता एवं जल आपूर्ति	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ	1 (4.00)	0 (0.00)	1 (0.41)	—	—	—	2 (4.41)
	योग	316 (593.42)	381 (7,228.83)	334 (3,168.45)	234 (488.19)	209 (460.33)	689 (618.64)	2,163 (12,557.86)

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: कडिका 4.14)

विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वसूली प्रकरण संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग के नाम	प्रकार दुर्विनियोजन/हानि/चोरी	वर्ष	हानि की राशि	वसूली गयी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
01	111	2055	पुलिस	हानि	2022	6,116.00	6,116.00
02	104	2406	वन	हानि	2021	5,478.00	5,478.00
03	105	2406		हानि	2021	16,38.00	16,38.00
04	106	2406		हानि	2021	3,489.00	3,489.00
05	110	2406		हानि	2022	2,028.00	2,028.00
06	112	2406		हानि	2022	1,72,000.00	1,72,000.00
योग						1,90,749.00	1,90,749.00

परिशिष्ट 5.1

पीएसयूज जिनके लेखे 30 सितम्बर 2022 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(कड़िका : 5.4 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम	निगमन की तिथि	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर पूँजी		
								पूँजी*	दीर्घवधि ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कार्यशील पीएसयूज जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
1	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी)	16.11.1981	2017-18	2022-23	-2.47	69.44	1.60	1.60	0.00	1.6
2	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (सीआईडीसी)	26.02.2001	2018-19	2020-21	-0.02	0.62	4.20	4.20	0.00	4.2
3	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसआईआईसी)	12.12.2017	प्रथम लेखे अप्राप्त थे	-	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
योग-I					-2.49	70.06	5.80	5.85	0.00	5.85
II. निष्क्रिय पीएसयूज										
अ. सरकारी कम्पनियाँ										
4	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल)	30.12.2008	2020-21	2021-22	-0.06	0.00	21.94	21.94	0.00	21.94
5	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीएल)	11.04.2008	2018-19	2020-21	0.00	0.00	82.60	82.60	231.71	314.31
योग-II					-0.06	0.00	104.54	104.54	231.71	336.25
योग (I+ II)					-2.55	70.06	110.34	110.39	231.71	342.10

*आबंटन हेतु लंबित अंश आवेदन की राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट 5.1(ब)
30 सितम्बर 2022 की स्थिति में पीएसयूज के खातों को अंतिम रूप देने में बकाया दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कड़िका : 5.5 में संदर्भित)

क्र. सं.	पीएसयूज का नाम	वर्ष तक जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये	बकाया की स्थिति	बकाया लेखों की संख्या
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
3.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
4.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
5.	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19 से 2021-22	4
6.	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
7.	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2021-22	3
8.	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
9.	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
10.	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
11.	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	2020-21	2021-22	1
12.	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 एवं 2021-22	2
13.	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	2018-19	2019-20 से 2021-22	3
14.	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
15.	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 एवं 2021-22	2
16.	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
17.	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
18.	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	2020-21	2021-22	1
19.	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
20.	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21	2021.22	1

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

21.	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	---	2017-18 से 2021-22	5
22.	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
23.	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (पूर्व में : इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड)	2020-21	2021-22	1
24.	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	2020-21 से 2021-22	2
योग				40

परिशिष्ट 5.2
31 मार्च 2022 की स्थिति में राज्य के पीएसयूज से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(कंडिका : 5.6.1 में संदर्भित)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [§]				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य [‡]	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य [‡]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ऊर्जा													
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2814.30	0.00	0.00	2814.30	29.21	0.00	6792.57	6821.78	2843.51	9636.08
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	904.71	0.00	0.00	904.71	0.00	0.00	1235.25	1235.25	904.71	2139.96
3	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	19.05.2003	2263.10	0.00	0.00	2263.10	21.17	158.89	1731.13	1911.19	2284.27	4174.29
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	31.12.2008	609.73 [€]	0.00	0.00	609.73	0.00	0.00	0.00	0.00	609.73	609.73
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा	30.12.2008	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
6	उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड (यूसीआरव्हीयूएल)	ऊर्जा	13.03.2018	0	0	200	200.00	0	0	1.34	1.34	0.00	201.34
कृषि एवं संबद्ध													
7	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन	22.05.2001	25.73	0.92	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	25.73	26.65

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी ^१				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहितकुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^२	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य ^२	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
8	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	08.10.2004	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	29.40	29.40	0.50	19.90
सेवाएं													
9	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड	वाणिज्यिक कर	29.11.2001	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
10	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल)	वाणिज्यिक कर	27.02.2017	0.0007 @	0.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00	239.00	239.00
11	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	13.03.2001	4.43	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.43	4.43
12	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य	07.10.2010	3.45	0.00	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45	3.45
13	छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड	गृह	14.12.2011	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	591.80	591.80	2.00	593.80
14	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	02.05.2002	2.02	0.00	2.02	4.04	88.99	0.00	0.00	88.99	91.01	93.03
15	छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	07.12.2016	25.5	24.5	0	50.00	0	0	0	0.00	25.50	50.00

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [§]				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य [§]	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य [§]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
16	छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
17	छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	29.05.2018	0.00	0.00	2.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	2.00
अधोसंरचना													
18	छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी / शहरी प्रशासन व विकास विभाग	11.11.2014	4.90	0.00	0.00	4.90	0.00	0.00	166.09	166.09	4.90	170.99
19	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.10.2017	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
20	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	19.09.2016	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
21	छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	26.02.2001	4.20	0.00	0.00	4.20	0	0	0	0.00	4.20	4.20
22	छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (सीआरएचसीएल)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	15.03.2018	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1681.43	1681.43	0.10	1681.53
23	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	16.11.1981	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.60

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष की समाप्ति पर पूँजी ^{\$}				वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				ऋण सहितकुल जीओसीजी पूँजी	ऋण सहित कुल पूँजी
				जीओसीजी	जीओआई	अन्य [€]	कुल	जीओसीजी	जीओआई	अन्य [€]	कुल		
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
24	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग	16.09.2016	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10
25	छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	12.12.2017	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
वित्त													
26	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	समाज कल्याण	04.07.2004	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
अन्य													
27	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	07.06.2001	1.00	0.00	0.00	1.00	379.99	0.00	0.00	379.99	380.99	380.99
28	केरवा कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	20.01.2015	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
29	सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	11.04.2008	0.00	0.00	82.60	82.60	0.00	0.00	231.71	231.71	0.00	314.31
30	छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड	भौमिकी एवं खनन	30.12.2008	0.00	0	21.94	21.94	0	0	0	0.00	0.00	21.94
कुल				6672.82	25.42	315.46	7013.70	758.36	158.89	12460.72	13377.97	7431.18	20391.67

^{\$} पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है। [£] वित्तीय संस्थायें, बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि सम्मिलित है।

[€] राज्य सरकार द्वारा सीएसपीएचसीएल को प्रदान की गई पूँजी ₹6,591.89 करोड़ में से ₹5,982.16 करोड़ सीएसपीएचसीएल (होलिडिंग कम्पनी) द्वारा सहायक कम्पनियों अर्थात् सीएसपीजीसीएल (₹2,814.30 करोड़), सीएसपीटीसीएल (₹904.71 करोड़), सीएसपीडीसीएल (₹2,263.10 करोड़) एवं सीएसपीटीआरसीएल (₹0.05 करोड़) में निवेश की गई जैसाकि स. क्रं. 1, 2, 3 एवं 5 में दर्शाया गया है। अतः सहायक कम्पनियों में निवेश किए गए ₹5,982.16 करोड़ को छोड़कर ₹609.73 करोड़ को ही सीएसपीएचसीएल की पूँजी दर्शाया गया है।

@ छत्तीसगढ़ शासन के खनिज संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि से ऋण की राशि प्राप्त की गयी है अतः इसे छत्तीसगढ़ शासन के निवेश की तरह माना गया है।

₹7000

परिशिष्ट 5.3
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की सूचना
(कंडिका : 5.9.1 में संदर्भित)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम
पीएसयूज जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया	
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड
2	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड
3	छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम
4	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड
5	छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड
6	छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
7	छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड
8	छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड
9	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम
पीएसयूज जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया	
1	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड
2	केरवा कोल लिमिटेड